न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 170/2025 G.C.M.S. No. 2025/636 दर्ज दिनांक : 15.10.2025

अपीलार्थिगण:

मोहनलाल पुत्र श्री धन्नाराम, जाति लुहार, निवासी सेदरिया बालोतान, तहसील आहोर जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. चम्पालाल पुत्र धन्नाराम
2. छगनाराम पुत्र धन्नाराम
3. उम्मेदमल पुत्र धन्नाराम
4. सीता पत्नी रताराम
5. रमेश कुमार पुत्र रताराम
6. जितेन्द्र कुमार पुत्र रताराम
7. महावीर कुमार पुत्र रताराम
8. मनीषा कुमारी पुत्री रताराम जाति लुहार, निवासी सेदरिया बालोतान, तहसील आहोर जिला जालोर
9. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार आहोर जिला जालोर
10. पुनाराम पुत्र श्री खंगार जी जाति चौधरी निवासी रेबारियो का बास, बिठुड़ा, तहसील आहोर जिला जालोर
11. गोरधन सिंह बालोत पुत्र श्री भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी सेदरिया बालोतान, तहसील आहोर जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 69/2017 बअनवान मोहनलाल बनाम चम्पालाल में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2025 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार:–

1. श्री लक्ष्मण के. चौधरी विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक: 23.03.2026

अपीलांटस की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 69/2017 बअनवान मोहनलाल बनाम चंपालाल में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2025 के विरूद्ध आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

ग्राम सेदरिया बालोतान, पटवार हल्का सेदरिया बालोतान तहसील आहोर जिला जालोर में स्थित वर्तमान खसरा संख्या 413 व 511 में वादी का 1/5 हिस्से के भूमि बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु विरूद्ध प्रतिवादीगण के वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 02 की ओर इकबालिया जवाब पेश किया गया। जिस पर बिना तनकी बनाये पत्रावली सीधे इकबालिया जवाब के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश किए गये, लेकिन प्राथमिक डिक्री जारी नहीं की गई, वकील वादी के निवेदन पर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु रखी गई। वादी की ओर से शपथ पत्र पेश किया गया। पत्रावली जिरह हेतु नियत थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य वादी का साक्ष्य के अभाव में पत्रावली इस स्टेज पर दिनांक 30.06.2025 को खारिज किये जाने का आदेश दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी की ओर से साक्ष्य हेतु पेश किया एवं पत्रावली प्रतिवादी की जिरह हेतु चल रही थी एवं प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं करने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य वादी का अभाव लेकर वादी का वाद खारिज करने संबंध आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 01 से 08 की ओर से जवाब मय वकालतनामा वकील अभिनव सुथार द्वारा पेश किया गया था, चूंकि जवाब इकबालिया होने से दिनांक 11.11.2019 को इकबालिया जवाब आने के आधार पर पत्रावली प्राथमिक डिक्री के आदेश जारी करने हेतु दिनांक 29.11.2019 को रखी गई थी एवं दिनांक 29.11.2019 को प्राथमिक डिक्री की पालना हेतु पी.डी. तैयार तहरीर जारी करने हेतु लिखा गया। इस प्रकार पत्रावली पूर्ण रूप से वादी का वाद स्वीकार योग्य था एवं जब न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश कर दिये गये तो वादी का वाद किसी भी रूप से साक्ष्य का अभाव मानकर खारिज नहीं किया जा सकता था, इस कारण उक्त अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है। दिनांक 13.12.2019 को वकील वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर साक्ष्य वादी हेतु पत्रावली पुनः रखी गई एवं दिनांक 23.09.2021 को वादी मोहनलाल का साक्ष्य का शपथ पत्र पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया एवं आयन्दा जिरह हेतु दिनांक 30.11.2021 को केम्प सेदरिया बालोतान में पेश होने हेतु लिखा गया एवं दिनांक 15.06.2022 को पत्रावली जिरह हेतु नियत थी, इस प्रकार वादी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य पेश की जा चुकी थी। ऐसी स्थिति में दिनांक 30.06.2025 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह लिखते हुए कि आदेशो की अवहेलना तथा वादी साक्ष्य के अभाव में पत्रावली इसी स्टेज पर खारिज करने के व पत्रावली फैसल शुमार करने के आदेश जारी किये गये है। जो आदेश किसी भी रूप से न्यायोचित नहीं होने निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी अपीलांट द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 30.06.2025 द्वारा खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील 60 दिवस के स्थान पर 105 दिवस के पश्चात प्रस्तुत की गयी।
2. चूंकि प्रकरण में लगभग 45 दिवस का विलंब निहित है तथा प्रकरण का कठोर तकनीकी आधार पर निर्णयन के बजाय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए अपीलांट को सुनवाई का अवसर मिलना ही चाहिए। अतः विलंबकाल सद्भाविक नहीं माने जाने का कोई कारण नहीं होने से विलंबकाल माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी आराजी के बंटवाडा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य के अभाव में वादपत्र अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अभाव में खारिज किया गया। वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अपीलांट वादी अभिलिखित सहखातेदार है, तथा सहखातेदार कानूनन विभाजन करवाने का अधिकारी होता है। अपीलांट द्वारा स्वयं के बुजुर्ग एवं बिमार होने तथा पुत्र के साथ बंगलोर में इलाजरत होने से साक्ष्य वादी करवाने में असमर्थ रहना जाहिर किया है। जो कि युक्तियुक्त कारण है तथा ऐसे प्रकरण में न्यायालयो को उदार रूख अपनाना चाहिए। अतः हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिनुरूप गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने के लिए प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः उक्त दोनों अपील अपीलांट्स अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 69/2017 बअनवान मोहनलाल बनाम चंपालाल में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2025 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल के संगत विधिक प्रावधानों में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा आदि का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णित व डिक्री करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 23.04.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आहोर में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से दो कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली